कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

दिनांक :28/11/ 2025

पत्रांक : 190 /ई–निविदा/मु0अ0/2025–26

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

लखनऊ विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत अथवा आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत निविदा–नोटिस तथा ड्राफ्ट निविदा–प्रपत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट "http://www.ldaonline.co.in" पर देखा जा सकता है, जिसमें धरोहर धनराशि, निविदा डालने की तिथि, श्रेणी, कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं ई–निविदा लागत तथा अन्य नियम व शर्तों का उल्लेख है। कार्य से संबंधित ई–निविदा–प्रपत्र वेबसाइट "http://etender.up.nic.in" पर उपलब्ध होंगे तथा ई–निविदित करने होंगे।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	ठेकेदार की श्रेणी/बिड् पद्धति	निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रक्रिया का मूल्य (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा पोर्टल पर निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की प्रारम्भ तिथि	निविदा पोर्टल पर निविदा प्रपत्र अपलोड करने एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि ऑन लाइन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	टू–बिड् निविदाओं की तकनीकी बिड् एवं सिंगल बिड् निविदाओं की वित्तीय बिड् खोलने की तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु शहीद पथ के दाये तरफ इन्टरचेंज हेतु 02 लूप सड़क एवं 02 रैम्प का निर्माण कार्य।	11036.20	श्रेणी–ए ओपन टू–ऑल	25000+25000 =50000 18%GST	2207300.00	29.11.2025	26.12.2025 मध्यान्ह् 12:00 बजे	27.12.2025 अपरान्ह् 3:00 बजे	18 माह

नियम व शर्तें :–

1. कॉलम सं0–5 एवं 6 में अंकित निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि HDFC Bank की वेबसाइट https://lda.procure247.com माध्यम से आनलाइन जमा करनी होगी।
   उक्त वेबसाइट के माध्यम से निविदा प्रपत्र का मूल्य 'Tender Fee' मद में एवं धरोहर राशि 'EMD' मद में जमा करनी होगी। उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–692/23–07–2024–2/08 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार निर्माण/विकास कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदादाता द्वारा निविदत लागत स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत कम होने पर कोई अतरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी नही ली जायेगी। निविदाता की निविदत लागत 15 प्रतिशत व इससे अधिक निम्न पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारण्टी 15 प्रतिशत निम्न होने पर 10 से अधिक 5 प्रतिशत हेतु 5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत से अधिक निम्न होने पर 15 प्रतिशत के पश्चात प्रत्येक 1 प्रतिशत के लिये 2 प्रतिशत अतिरक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करायी जायेगी, जिसे पत्र निर्गत किये जाने के 15 दिवस के अन्तर्गत (अनुबन्ध गठन से पूर्व) जमा करना होगा। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारण्टी प्राधिकरण में जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता को 01 वर्ष की अवधि हेतु निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने से डिबार किया जायेगा व निविदा की जमानत धनराशि (ई0एम0डी0) को भी जब्त कर लिया जायेगा। अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारण्टी का 50 प्रतिशत कार्य के अन्तिम भुगतान के पश्चात् व शेष 50 प्रतिशत अनुबन्ध में प्राविधानित Defect liability period के पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा।
2. निविदा की दरों में जी0एस0टी0 अथवा कोई कर सम्मिलित नहीं है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
3. निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन की वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं तथा इसी वेबसाईट से डाउनलोड/अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.ldaonline.co.in को देखते रहें क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त दोनों वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। तकनीकी बिड् में अर्ह निविदादाताओं की वित्तीय बिड् खोलने की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर दी जायेगी। सक्षम सेवा प्रदाता से उपलब्ध कराये गये डिजिटल सिग्नेचर धारक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
4. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य लागत की 10 प्रतिशत धनराशि में से उक्त कॉलम–6 के अनुसार जमा धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि ठेकेदार द्वारा देय होगी।
6. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
7. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात् उक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।

8. स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

9. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।

10. लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत फर्मस् निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदादाताओं को अनुबंध के समय लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा।

11. आमंत्रित निविदा में ऐसे कार्य, जिसमें अन्य विकास के साथ–साथ बिटुमिनस सड़क सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित हों, ऐसी स्थिति में कार्य की कुल बी0ओ0क्यू0 धनांक से 50 प्रतिशत अधिक के बिटुमिनस सड़क सम्बन्धी कार्य जो न्यूनतम रू0 25.00 लाख की धनराशि से कम न हो, के बिटुमिन सम्बन्धी कार्य होने पर स्वयं का प्लाण्ट होने पर शपथ पत्र के साथ हाटमिक्स प्लाण्ट एवं उससे सम्बन्धित टूल्स एण्ड प्लाण्ट की उपलब्धतानुसार, को नोटरी से प्रमाणित कराते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करने पर तथा किराये/लीज पर लिये जाने की दशा में सम्बन्धित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार द्वारा कार्यविशेष जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी हैं, हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग व एन0एच0ए0आई0 में हॉट मिक्स प्लान्ट में रजिस्टर्ड ठेकेदार (जिसके पास वांछित टूल्स व प्लान्ट्स हों) से ही सबरजिस्ट्रार कार्यालय से अनुबन्ध/लीज़ पंजीकृत कराते हुए अनुबन्ध/लीज़ व मशीनरी के ओनरशिप के प्रपत्र भी निविदा के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक होंगे, (लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–795/बीबीडी–1(एनएच)/ 40एमटी–II/2020, दिनांक 16.10.2020 के अनुसार निर्धारित आयु के अन्तर्गत) तभी निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा, अन्यथा प्राप्त निविदा अर्ह नहीं होगी। निविदा में Lessor एवं Lessee में से एक पक्ष द्वारा ही प्रतिभाग किया जाना अनुमन्य होगा। लीज की अवधि/कार्य हेतु निर्धारित अवधि में Lessor द्वारा Hot Mix Plant उपयोग हेतु Lessee के अतिरिक्त किसी अन्य को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यह प्राविधान रू0 200.00 लाख तक की लागत की निविदाओं पर ही लागू होंगे, इससे अधिक लागत के कार्य पर स्वामित्व होना अनिवार्य है।

हॉटमिक्स प्लाण्ट प्राधिकरण मुख्यालय/कार्यस्थल से 50 कि0मी0 परिधि में स्थापित होना अनिवार्य होगा। बिटुमिनस सड़क सम्बन्धी कार्य में बी0एम0, बी0सी0, एस0डी0बी0सी0, टैक कोट, प्राइम कोट, जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0 आदि कार्य सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार सड़क के कार्यों के अंतर्गत जहां WMM का कार्य धनांक रू0 20.00 लाख से अधिक का सम्पादित किया जाना है, वहां पर सम्बन्धित कार्यदायी एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं का अथवा ल.वि.प्रा./लो.नि.वि./एन.एच.ए.आई. में पंजीकृत ठेकेदारों से किराये/लीज पर अनुबन्धित Computerised Wetmix Plant (Capacity 75 TPH) का होना अनिवार्य है तथा WMM के laying सम्बन्धित कार्य समुचित मशीनरी, स्प्रेडर (Paver Finisher) आदि के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भविष्य के कार्यों में बिड के साथ प्लाण्ट के स्वामित्व के सम्पूर्ण कागजात संलग्न होना भी अनिवार्य होगा तथा निविदा डाले जाने के समय प्राधिकरण मुख्यालय/ कार्यस्थल से प्लाण्ट 50 कि0मी0 की परिधि में होना अनिवार्य होगा। जिस हेतु शपथ पत्र, अनुबंध प्रपत्र इत्यादि समस्त वांछित प्रपत्र उपरोक्तानुसार हॉटमिक्स प्लाण्ट के अनुसार ही संलग्न करने होंगे।

12. बिटुमिनस सड़क निर्माण के कार्य में एस.डी.बी.सी. (टॉप लेयर) का कार्य प्लास्टिक वेस्ट मिक्स करके एवं तदनुसार मिक्स डिजाइन करके कराया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट को हॉटमिक्स प्लाण्ट में फीड करने हेतु निर्धारित स्थान पर आवश्यक मशीनरी का प्राविधान होना आवश्यक है।

13. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक भी कार्य ले सकेंगे। यदि एक श्रेणी से अधिक उच्च श्रेणी कें पंजीकृत ठेकेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में फर्म को डिबार/ब्लैक–लिस्ट किया जा सकता है।

14. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

15. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

16. निविदा आमन्त्रण सूचना के नियम व शर्तों तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमन्त्रण–सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होंगी।

17. निविदा की दरें निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक वैध होने के सम्बन्ध में रू0 100/– के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग निविदा के साथ अपलोड करनी आवश्यक होगी।

18. निविदादाता द्वारा टू–बिड निविदा की तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र यथा–चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, आवश्यक मशीनरी, बिड कैपेसिटी विवरण (चलित कार्यों के विवरण सहित), तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित विवरण, बैंक प्रमाण–पत्र, लिक्विड एसेट (बैंक सॉल्वेन्सी) एवं शपथ पत्र आदि वैधता अवधि के अन्तर्गत के ही अपलोड किये जाने आवश्यक है।

19. तकनीकी बिड में संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की नम्बरिंग करते हुए, उनकी विषय सूची (किस पृष्ठ पर कौन सा प्रपत्र संलग्न है) संलग्न करनी आवश्यक होगी। साथ ही वांछित प्रपत्रों का स्वप्रमाणित भी होना आवश्यक होगा।

20. उपरोक्त क्रमांक–पर अंकित कार्यों हेतु सामान्य निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिनके निविदा प्रपत्र वेबसाइट "http://www.ldaonline.co.in" से डाउनलोड किये जा सकेंगे एवं प्राधिकरण के नवीन भवन स्थित मुख्य अभियन्ता कक्ष में रखे निविदा बाक्स में स्तम्भ (8) में अंकित तिथियों में डाले जा सकेंगे अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपरान्ह 3:00 बजे तक भेजे जा सकते हैं, परन्तु निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त निविदाएं कॉलम–9 में अंकित तिथि व समय पर ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हुए) के समक्ष प्राधिकरण के नवीन भवन मे मुख्य अभियन्ता कार्यालय कक्ष में खोली जाएंगी। इन कार्यों की निविदाओं हेतु प्रतिभूति की धनराशि अधिशासी अभियंता, ल0वि0प्रा0 के पक्ष में एन.एस.सी./एफ.डी.आर./एन.एस.एस. के रूप में जमा करना होगा। यदि किसी निविदा के साथ उक्त प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं होगी, तो ऐसी निविदाएं खोलते ही पुनः सील कर दी जाएंगी। निविदा मूल्य नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी, जो वापस नहीं होगी।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपिः

1. उपाध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को इस निर्देश के साथ कि संबंधित कार्यो के निविदा प्रपत्र समय से प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.ldaonline.co.in तथा e-tender Portal पर लोड कराना सुनिश्चित करें तथा निविदा खोलते समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
5. पी.ए.(टी.) को इस आशय से प्रेषित कि वे लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर निविदा सूचना अपलोड करायें।

मुख्य अभियन्ता